

©

भारत सरकार  
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

राजभाषा विभाग (विदेशी भाषाएँ)  
Official Languages Wing (Foreign Languages)

दिविय विधि विभाग  
Ministry of Law & Justice

संशोधन बट्टमान  
Correction Section



विधिक दस्तावेजों  
के  
मानक प्ररूप

STANDARD FORMS  
OF  
LEGAL DOCUMENTS

लिंग IV  
Vol. IV

1983  
राजभाषा खण्ड  
OFFICIAL LANGUAGES WING

©

भारत सरकार  
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

## विधिक दस्तावेजों

के

## मानक प्ररूप

STANDARD FORMS  
OF  
LEGAL DOCUMENTS

जिल्द IV

Vol. IV

1983

राजभाषा विभाग

OFFICIAL LANGUAGES WING

### प्रार्कथन

विधिक दस्तावेजों के मानक प्रस्तुत नामक संकलन की यह जौधी जिल्द है। सरकारी कार्यालयों में गृह निर्माण अधिक्रम के सम्बन्ध में सामान्यतः प्रयोग में आने वाली नौ विधिक दस्तावेजों के हिन्दी मानक प्रस्तुत तैयार किए गए हैं और उनके अंग्रेजी पाठ के साथ उनका संकलन इस जिल्द में किया गया है।

आज्ञा है कि यह संकलन भी सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस संबंध में आपके सुझावों का स्वागत है।

कृपया इस पते पर पत्र व्यवहार करें :

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी,  
राजभाषा खंड, विधायी विभाग,  
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय,  
संगवान दास मार्ग,  
नई दिल्ली-110 001.

नई दिल्ली,  
30 सितम्बर, 1983

र० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री,  
सचिव, विधायी विभाग।

## विषय सूची

	पृष्ठ
1. जब सम्पति मुक्त धृति (फोहोर्ड) है तब निष्पादित किए जाने वाले बन्धक विलेख का प्रलेप . . . . .	1
2. जब सम्पति पट्टावृत्ति है तब निष्पादित किए जाने वाले बन्धक विलेख का प्रलेप . . . . .	5
3. केंद्रीय सरकार के सेवक द्वारा भूमि का क्रय करने और मकान बनाने के लिए उस दशा में निष्पादित किए जाने वाले करार का विशेष प्रलेप जब उसे भूमिका हक, मकान बन जाने के पश्चात् संकान्त होता है . . . . .	10
4. केंद्रीय सरकार के सेवक द्वारा मकान बनाने के लिए अग्रिम की दूसरी किस्त प्राप्त करने के पूर्व उस दशा में निष्पादित किए जाने वाले करार का विशेष प्रलेप जिसमें उसने उचित प्रलेप में करार का निष्पादन करने के पश्चात् भूमि के क्रय के लिए अग्रिम की पहली किस्त प्राप्त कर ली है और जब कि भूमि का हक उसे मकान बन जाने के पश्चात् संकान्त होगा . . . . .	12
5. केंद्रीय सरकार के सेवक द्वारा मकान बनाने के लिए अग्रिम की पहली किस्त लेने के पूर्व उस दशा में निष्पादित किए जाने वाले करार का विशेष प्रलेप जिसमें उसने भूमि का क्रय अपने ही धन से किया है किन्तु भूमि का हक मकान बन जाने के पश्चात् उसे संकान्त होगा . . . . .	14
6. प्रतिभू बंधपत्र . . . . .	16
7. गृह निर्माण अग्रिम के लिए प्रतिदृस्तावरण पत्र का प्रलेप . . . . .	18
8. भारतीय जीवन बीमा नियम को, नियमों के अधीन अनुज्ञय गृह निर्माण अग्रिम की सहायता से निर्मित/क्रय किए गए मकानों की बीमा पालिसियों में सरकार के हित की सूचना देने वाले पत्र का प्रलेप . . . . .	19
9. केंद्रीय सरकार के सेवकों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण की “स्व-वित्तयोगित आवास रजिस्ट्रेकरण स्कीम” के अधीन फ्लैट खरीदने के लिए अग्रिम लेने के समय निष्पादित किए जाने वाले विपक्षीय करार का प्रलेप . . . . .	20

जब सम्पत्ति<sup>१</sup> मुक्त धृति (फीहोल्ड) है तब निष्पादित किए जाने वाले बंधक विलेख का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री.....जो के श्री.....का पुत्र है और जो इस समय.....में .....मंदालय/कार्यालय में.....के हूप में नियोजित है (जिसे इसमें आगे "बंधकता"<sup>२</sup> कहा गया है और उनके अन्तर्गत इसके वार्तिम, निष्पादक, प्रशासक और समुदेशी भी हैं, जब तब कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "बंधकदार"<sup>३</sup> कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशी भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख.....को किया गया है।

बंधककर्ता उस भूमि और/या गृह सम्पत्ति और परिसर का, जिसका वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है और जो अधिक स्पष्टता के लिए इसमें संलग्न तक्षण में अंकित है और जिसको सीमाएं.....रेंग से दिखाई गई हैं तथा जो इसके द्वारा अभिस्तांतरित, अंतरित और हस्तांतरित किया जाना अभिव्यक्त है, (जिसे इसमें आगे "उक्त बंधक सम्पत्ति"<sup>४</sup> कहा गया है) पूर्ण और एकमात्र हिताधिकारी स्वामी है और वह उसके कब्जे में है अथवा वह अन्य रूप में उसका विधिवूक्त और पर्याप्त रूप से हकदार है।

बंधककर्ता ने.....रुपए (केवल.....रुपए) के अधिम के लिए बंधकदार को आवेदन किया है। बंधककर्ता ने यह अधिम के निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मंगा है:

<sup>१</sup>(1) भूमि का क्य करने के लिए और उस पर मकान बनाने के लिए या<sup>५</sup> (उक्त विरासत योग्य भूसंपत्ति पर विद्यमान मकान में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए)।

<sup>१</sup>(2) उक्त विरासत योग्य भूसंपत्ति पर मकान बनाने के लिए या<sup>६</sup> (उक्त विरासत योग्य भूसंपत्ति पर बने मकान में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए)।

<sup>१</sup>(3) उक्त बने बनाए मकान का क्य करने के लिए।

बंधकदार मंदालय/कार्यालय के तारीख.....के पत्र सं०.....के अनुसार, जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसमें उपवर्जित निवासिनों और शर्तों पर .....रुपए की उक्त धनराशि (पूर्ण रकम लिखिए) बंधककर्ता को उद्धार देने के लिए सहमत हो गया है।

उक्त अधिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्ता को चाहिए कि वह इसमें आगे अनुसूची में वर्णित संपत्ति का बंधक करके उक्त अधिम के प्रतिसंदाय की और उन निवासिनों और शर्तों के सम्बन्धित अनुपालन को प्रतिभूत करे जो भारत सरकार के निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय द्वारा उनके कार्यालय शामन सं० एच० II-27 (5)/54, तारीख 12 अप्रैल, 1956 के साथ जारी किए गए "मकानों के निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सरकार के सेवकों को अधिम मंजूर किए जाने का विनियमन करने के नियम"<sup>७</sup> में (जिसे इसमें आगे "उक्त नियम"<sup>८</sup> कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहाँ संदर्भ के अनुकूल हो, तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन या परिवर्धन भी हैं) दी हुई है।

## और बंधकदार ने —

<sup>१</sup>[बंधककर्ता को.....रु० (केवल.....रुपए) का अधिम मंजूर कर दिया है। यह अधिम उतनी किस्तों में और उस रीति में संदेय होगा जो इसमें आगे दिए गई हैं।]

<sup>१</sup>[बंधककर्ता को.....रु० (केवल.....रुपए) का अधिम तारीख.....को उक्त नियमों में उपवर्धित रीति में दे दिया है तथा उक्त उद्धार का व्याज सहित प्रति संदाय तथा उक्त नियमों में दिए हुए निवासिनों और शर्तों का, जिसका उल्लेख इसमें आगे किया गया है, अनुपालन इसमें आगे दी हुई रीति से प्रतिभूत करा दिया है।]

बंधककर्ता को बंधकदार से उक्त अधिम निम्नलिखित किस्तों में मिलाना है: <sup>१</sup>.....रुपए.....तारीख को मिल चुके हैं। <sup>१</sup>.....रुपए तब जब बंधककर्ता, बंधकदार के पक्ष में इस विलेख का निष्पादन करेगा। <sup>२</sup>.....रुपए तब जब मकान का निर्माण छत के स्तर पर पहुंचेगा, परंतु यह तब होगा जब कि बंधकदार का यह समाधान हो जाए कि उस सेवा का विकास जिसमें मकान बनाया गया है, जल प्रदाय, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था, सड़कों, नालियों और सलवहन जैसी सुविधाओं की दृष्टि से पूरा हो गया है।

1. जो लागू हो वह लिखिए।

2. टिप्पणी—यदि अधिम के संदाय का दंग नियम 5 में विहित दंग से भिन्न है तो तदनुसार इसकी आपा में परिवर्तन कर दिया जाएगा।

यह करार निम्नलिखित का राक्षी है :—

(i) (क) उक्त नियमों के अनुसरण में और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार बंधकदार द्वारा बंधकर्ता को मंजूर किए/दिए गए उक्त अधिम के प्रतिकलस्वरूप बंधकर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधकर्ता उक्त नियमों के सभी निवंधनों और शर्तों का सहैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और.....रु० (केवल.....रुए) के उक्त अधिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय.....रुए (केवल.....रुए) की 1.....मासिक किस्तों में बंधकर्ता के बेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय .....के.....मास से अच्छा मासान पूरा होने के पश्चात् वर्ती मास से इसमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा। बंधकर्ता ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक बेतन/छट्टी बेतन/निवाह भत्ते में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। उक्त अधिम की पूरी रकम देने के पश्चात् बंधकर्ता उस १० दिव ब्याज का संदाय भी.....मासिक किस्तों में उस रीति में और उन निवंधनों पर करेगा जो उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट है। १०रु बंधकर्ता व्याज सहित अधिम का पूरा प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्व करेगा जिस तारीख को वह तेवा से निवृत्त होने वाला/वाली है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा/करेगी तो बंधकदार को यह हक्क होगा कि वह बंधक की इस प्रतिमूर्ति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अधिम की शेष रकम तथा उस १० दिव ब्याज और वसूली का खाने बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बंधकर्ता चाहे तो इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर भी कर सकता है।

(i) (ख) उक्त नियमों के अनुसरण में और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार बंधकदार द्वारा बंधकर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अधिम के प्रतिकलस्वरूप बंधकर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रसंविदा करता है कि बंधकर्ता उक्त नियमों के उसी निवंधनों और शर्तों का सहैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और.....रु० (केवल.....रुए) के उक्त अधिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय.....रु० (केवल.....रुए) की 1.....मासिक किस्तों में अपने (बंधकर्ता के) बेतन में से करेगा। वह प्रतिसंदाय .....के.....मास से या मासान पूरा होने के पश्चात् वर्ती मास से, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ हो कर उसकी अधिवर्धिता की तारीख तक किया जाएगा और उसकी अधिवर्धिता की तारीख पर जो रकम बकाया होगी वह और अधिम दी गई रकम पर अधिम की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक का व्याज उसके उपदान/मूल्य एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से वसूल किया जाएगा। बंधकर्ता किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक बेतन/छट्टी बेतन/निवाह भत्ते में से तथा उस शेष रकम की जिसका संदाय उसकी मूल्य/सेवा निवृत्ति/अधिवर्धिता की तारीख तक नहीं किया गया है, कटौती उसके उपदान/मूल्य एवं सेवा निवृत्ति उपदान में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। यदि फिर भी पूरी वसूली नहीं हो पाती है तो बंधकदार को यह हक्क होगा कि वह बंधक की इस प्रतिमूर्ति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अधिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च, बंधक संपत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बंधकर्ता चाहे तो इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

टिप्पणी : खंड (i) (क) या (i) (ख)में से जो तारा नहीं है उसे काट दीजिए।

(ii) यदि बंधकर्ता अधिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि बंधकर्ता दिवालिया ही जाग्या या सामान्य रूप से सेवा निवृत्ति, अधिवर्धिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहेगा अवधा यदि वह अधिम के पूर्व संदाय के पूर्व उसकी मूल्य हो जाती है या यदि बंधकर्ता उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट और उनकी ओर से अनुपालन किए जाने वाले किसी निवंधन, शर्त और अनुरूप का अनुपालन नहीं करेगा तो ऐसो प्रत्येक दशा में अधिम का संपूर्ण मूल धन या उसका उतना बांग जो उस समय देय रहता है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, तथा उस पर.....<sup>3</sup> प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जो बंधकदार द्वारा उक्त अधिम की पहली किस्त के लिए जाने की तारीख से परिकलित किया जाएगा, तुरंत बंधकदार को संदेय हो जाएगा। इसमें किसी बात के होते हुए भी, यदि बंधकर्ता अधिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बंधकदार, बंधकर्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता जो बंधकर्ता को लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो।

(iii) उक्त नियमों के अनुसरण में और उपर्युक्त प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अधिम के ओर उस पर ब्याज के, जो उसके पश्चात् किसी समय या समय-समय पर इस विलेख के निवंधनों के अधीन बंधकदार को देय हो, प्रतिसंदाय को प्रतिमूर्त करने के लिए बंधकर्ता इसके द्वारा बंधकदार को उक्त संपूर्ण बंधक संपत्ति जिसका और विशिष्ट रूप से बर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है, उस संपत्ति पर बंधकर्ता द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवनों या तत्त्वमय उस पर

1.यह 180 से अधिक नहीं होगा।

2.यह 60 से अधिक नहीं होगा।

3.उक्त नियमों के अधीन प्रधान ब्याज की प्रसामान्य दर।

की सामग्री का उक्त बंधक संपत्ति से संबंधित सभी या किन्हीं अधिकारीं, सुखाचारों और अनुलम्बकों सहित अनुदान, अभिहस्तांत्रण, अंतरण, समन्वयन और हस्तांतरण करता है बंधकदार उक्त बंधक संपत्ति को उसके अनुलम्बकों सहित धारण करेगा। इन अनुलम्बकों के अंतर्गत उक्त बंधक संपत्ति पर के सभी नियमों और ऐसे भवन जो नियमित किए गए हैं या इसके पश्चात् नियमित किए जाएं अथवा उस पर तत्समय रखी सामग्री भी हैं, बंधकदार उन्हें सभी विलगमों से मुक्त रूप में अपने उपयोग के लिए धारण करेगा। किंतु वह इसमें आगे दिए हुए मोबान संबंधी परन्तु के अधीन होगा। इसके पक्षकारों के बीच वह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता, बंधकदार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त मूलधन और व्याज और ऐसी अन्य रकम का (यदि कोई हो) जो बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को, उक्त नियमों के अधीन संदेय अवधारित की जाए, सम्प्रकृति रूप से संदाय इसमें दी हुई रीति से कर देगा जो बंधकदार उसके बाद किसी भी समय बंधककर्ता के अनुदान और खर्च पर, उक्त बंधक संपत्ति का प्रति-अभिहस्तांत्रण, प्रति-अंतरण और प्रति-हस्तांतरण बंधककर्ता को उसके या उसके नियमोंनुसार उपयोग के लिए कर देगा।

(iv) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता अपनी ओर से की गई और इसमें दी हुई प्रसंविदाओं का भंग करेगा या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाएगा या सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति/अधिविविता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहेगा, या यदि उन सभी रकमों को जो इस विलेख के अधीन बंधकदार को संदेय है, और उन पर व्याज की पूरी तरह से चुकाए जाने से पूर्व उसकी भूत्यु हो जाती है या यदि उक्त अधिम या उसका कोई भान इस विलेख के अधीन या किसी अन्य रूप से तुरंत संदेय हो जाता है तो ऐसी प्रत्येक दशा में बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह न्यायालय के हस्तांतरण के बिना, उक्त बंधक संपत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय, एक साथ या दुकड़ों में और लोक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे। उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रप कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विरुद्धित कर दे तथा ऐसी किसी हासिल के लिए, जिसमें दार नहीं, जो ऐसा करने से हो। उसे यह शक्ति भी होगी कि वह ऐसा विक्रय करने के लिए, जो बंधकदार ठीक समझे, सभी कार्य करे और हस्तांतरण पदों का निष्पादन करे। यह घोषणा की जाती है कि वह बंधककर्ता की जाती है कि केता या केताओं ने क्रप धन का भूगतात कर दिया है। यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी विक्रय से प्राप्त धन को बंधकदार न्यास के रूप में धारण करेगा। उसमें से संबंधित ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का संदाय किया जाएगा और वह इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय देव धन को चुकाने में दा उसके लिए धन का संदाय किया जाएगा और यदि कोई धन वाकी रहता है तो वह बंधककर्ता को दे दिया जाएगा।

(v) बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार के साथ वह प्रसंविदा करता है कि :—

(क) बंधककर्ता को इस बात का विधिपूर्ण अधिकार और प्रतिकार है कि वह बंधक संपत्ति का, बंधकदार को और उसके उपयोग के लिए अनुदान, अभिहस्तांत्रण, अंतरण, समन्वयन और हस्तांतरण पूर्वोक्त रीति में करे।

(ख) बंधककर्ता भक्तान के नियमों/उक्त भक्तान में आवास स्थान में परिवर्धन का काम उस अनुमोदित नक्षे और उन विनियोगों के अनुसार ही करेगा जिनके आधार पर उक्त अधिम की संगणना की गई है और वह मंजूर किया गया है, जब तक कि उससे विचलन की अनुज्ञा बंधकदार ने न दे दी हो। बंधककर्ता कुर्सी/छत पड़ने के स्तर पर अनुज्ञय अधिम की किस्तों के लिए आवेदन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि नियमान्वय उक्त भक्तान के अनुदान किया जा रहा है जो उसने बंधकदार को दिए हैं और यह कि नियमान्वय कुर्सी/छत पड़ने के स्तर पर पहुंच गया है और मंजूर किए गए अधिम में से ली जा चुकी रकम का वस्तुतः उपयोग भक्तान के नियमों के लिए किया गया है। वह उक्त माणवों के सही होने का सत्यापन करने के लिए बंधकदार को स्वयं या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देगा/देती। यदि बंधककर्ता कोई भिन्ना प्रमाणपत्र देता है तो उसे बंधकदार को वह संपूर्ण अधिम, जो उसे भिल है तथा उस पर .....

.....<sup>1</sup>प्रतिवेदन प्रतिवर्ष की दर से व्याज देता है तो उसे बंधकदार को वह संपूर्ण अधिम, जो उसके अतिरिक्त बंधककर्ता के विरुद्ध, उसको लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती।

(ग) बंधककर्ता भक्तान का नियमों/उक्त भक्तान में आवास स्थान में परिवर्धन.....<sup>2</sup>के अट्ठारह मास के भीतर पूरा करेगा, जब तक कि बंधकदार ने इस काम के लिए लिखित रूप में समय न बढ़ा दिया गया है। इसमें व्यातिक्रम होने पर बंधककर्ता को उसे दी गई संपूर्ण रकम का और उक्त नियमों के अधीन परिकलित व्याज का एक मुख्य प्रतिसंदाय तुरंत करता होगा। बंधककर्ता भक्तान पूरा होने की तरीख की सूचना बंधकदार को देगा और वह बंधकदार को इस आवास का एक प्रमाणपत्र देगा कि अधिम की पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था।

1. नियम के अधीन प्रमाणव्याज की प्रतापाय दर।
2. यह तारीख लिखिए जिस तारीख की प्रमिल की पहली किस्त बंधककर्ता को दी गई है।

of ready  
purchase of a

: Insurance  
shall keep it  
till the  
Mortgagor.  
me to time  
on. In the  
and lightening  
at the cost  
the advance  
ount of the  
covered by  
as required,  
ortgagee to  
red.

in cost and  
spect of the  
full. The  
actions after  
ce has been  
rest, if any,  
r which the

encumber,  
venants to  
so without  
the second

recover the  
h preceding  
Mortgagor.

s hereunto

the respective  
is available

टिप्पणी : यदि अग्रिम बने बनाए मकान के क्रम के लिए है या उस उद्धार के प्रतिसंदाय के लिए है जो आवेदक ने किसी मकान के लिए लिया है तो बंड (ब) और (ग) लागू नहीं होते ।

(ब) बंधककर्ता भारतीय जीवन बीमा नियम में उक्त नकान का उरुत्त अपने बच्चे पर बीमा उक्ती रकम के लिए कराएगा जो उक्त अग्रिम की रकम से कम न हो। वह उस समय तक जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है, अग्रिम, बाढ़ और तड़ित से हाति या नुकसान के विरुद्ध बीमा कुत रखेगा जैसा कि उक्त नियमों में उपलिखित है और बीमा पालिसी बंधकदार को सौंप देता। बंधककर्ता समय-समय पर उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से देना और जब उससे अपेक्षा को जाए, प्रीमियम की रसीदें बंधकदार के निरीक्षण के लिए पेश करता। यदि बंधककर्ता अग्रिम, बाढ़, तड़ित के विरुद्ध बीमा नहीं करता है तो बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण, किंतु आवश्यक नहीं होगा कि वह उक्त मकान का बीमा बंधककर्ता के बच्चे पर करा ले और प्रीमियम की रकम को अग्रिम को बचाया रकम में जोड़ ले। तब बंधककर्ता को उस पर प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा जो नाम प्रीमियम की रकम को उक्त अग्रिम के भाग रूप में दी गई थी। यह ब्याज उस समय तक देना होगा जब तक कि वह रकम बंधकदार को बचा नहीं दी जाती है या जब तक उसकी वसूली इस रूप में नहीं हो जाती है जो नाम प्रीमियम की रकम को बचा नहीं दी जाती है। बंधककर्ता जब भी उससे अपेक्षित हैं बंधकदार को एक पत्र देगा जो उस बीमा करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस मकान का बीमा कराया गया है। यह पत्र इसलिए होगा कि बंधकदार बीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना दे सके कि बंधकदार उस बीमा पालिसी में हितबद्ध है।

(द) बंधककर्ता उक्त मकान को अपने बच्चे पर अच्छी भरमत को हालत में रखेगा और बंधक संपत्ति को बाबत नगर-पालिसी के और अन्य सभी स्थानीय रेट, कर और अन्य सभी देनदारियां उस समय तक नियमित रूप से देता जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है। बंधककर्ता, बंधकदार को उक्त आशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी देता।

(e) बंधककर्ता, मकान पूरा होने के बाद बंधकदार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मकान अच्छी भरमत को हालत में रखा गया है, निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देता जब तक कि अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है।

(f) बंधककर्ता ऐसी कोई रकम और उस पर देय ब्याज, यदि कोई है, बंधकदार को लौटाएगा जो अग्रिम के मद्दे उस व्यय के आवधिक में लाई गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था।

(g) बंधककर्ता बंधक संपत्ति को इस विलेख के जारी रहने के दौरान न तो भारित करेगा, न उस पर विलंगम सूचित करेगा, न उसका अन्य संकामण करेगा और न उसका जिसी अन्य प्रकार से व्यय करेगा। “किंतु, यदि बंधककर्ता किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में दूसरा बंधक सुनिश्चित करने की प्रसंविदा करता है तो वह बंधकदार की पूर्व जनूजा प्राप्त किए जिन्होंने नहीं करेगा और सम्मति दिए जाने पर दूसरे बंधक का प्राप्त बंधकदार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।”

(h) इसको किसी बात के होते हुए यो बंधकदार को यह हक्क होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका सदाय बंधककर्ता को सेवानिवृत्ति के समय तक या यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो, उस समय तक नहीं किया गया है, बंधककर्ता को मंजूर किए जाने वाले संपूर्ण उपलान या उसके किसी विनिविष्ट भाग में से बसूल कर ले।

अनुसूची, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है।

इसके साथसाथ बंधककर्ता ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ..... मंत्रालय/कार्यालय के श्री..... ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त बंधककर्ता,

(1) ..... (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

हस्ताक्षर

..... (प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) ..... (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

..... (द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से तथा उनके आदेश और निवेश से ..... मंत्रालय/कार्यालय के श्री:..... ने

(1) ..... (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

हस्ताक्षर

..... (प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) ..... (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

..... (द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

ध्यान दें : आवेदकों को मतलब दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क देने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या स्टाम्प शुल्क के संदाय से कोई छूट मिल सकती है, संविधित गाज़िय सरकार/प्रशासन के सम्पर्क कर ले।

1. यह बंधककर्ता भरेगा।

## विधिक दस्तावेजों के मानक प्रूफ जिल्ड IV

5

### जब सम्पत्ति पट्टाधृति है तब निष्पादित किए जाने वाले बंधक विलेख का प्रूफ

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री.....जो.....के श्री.....का पुत्र है और जो इस समय.....में.....मंत्रालय/कार्यालय में.....के रूप में नियोजित है (जिसे इसमें आगे "बंधकर्ता" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके वारिस, निष्पादक, प्रणामक और सम्पन्नदेशी भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "बंधकदाता" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके पदोन्नतरवर्ती और सम्बुद्धिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख.....को किया गया है।

तारीख.....के पट्टे द्वारा, जो.....और.....के बीच किया गया था, पट्टाकर्ता ने.....में स्थित संपत्ति का जिसका विस्तृत वर्णन इसमें आगे लिखी अनुमूली में किया गया है, पट्टात्तरण.....रुप के वारिस/मासिक किराए पर.....से आरंभ होने वाली.....वर्ष की अवधि के लिए और इस बात के अधीन रहते हुए कि इसमें वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों का पालन और अनुपालन किया जाएगा, बंधककर्ता को किया गया है।

बंधककर्ता ने .....रुपए (केवल .....रुपए) के अधिम के लिए बंधकदाता को आवेदन किया है। बंधककर्ता ने यह अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन के लिए मार्गा है :

<sup>1(1)</sup> मूर्मि का क्रप करने के लिए और <sup>1</sup>उस पर मकान बनाने के लिए या <sup>1</sup>(उक्त विरासत योग्य भू-संपत्ति पर विश्वास मकान में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए) ।

<sup>1(2)</sup> उक्त विरासत योग्य मू-संपत्ति पर मकान बनाने के लिए या <sup>1</sup>(उक्त विरासत योग्य भू-संपत्ति पर बने मकान में आवास स्थान का विस्तार करने के लिए) ।

<sup>1(3)</sup> उक्त बने बनाए मकान का क्रप करने के लिए ।

बंधकदाता मंत्रालय/कार्यालय के तारीख.....के पत्र-सं०..... के बनुमत, जिसको एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसमें उपवर्णित निवंधनों और शर्तों पर .....रुपए को उक्त घटनाशि (पूर्ण रकम लिखिए) बंधककर्ता को उधार देने के लिए नहमत हो गया है।

उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्ता को चाहिए कि वह इसमें आगे अनुमूली में वर्णित संपत्ति का बंधक करके उक्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को और उन सभी निवंधनों और शर्तों के सम्बन्ध अनुग्रालन को प्रतिभूत करे जो भारत सरकार के नियम, आवास और पूर्ति भंडालय द्वारा उनके कार्यालय जापन सं० एच० II - 27.५ / 54 तारीख 12 अप्रैल, 1956 के साथ जारी किए गए "मकानों के नियमण अदि" के लिए उपवर्णित विविध विवरकार के सेवकों को अग्रिम मंजूर किए जाने का। (विविध विवरकार के लिये में (जिसे इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है और इसमें जहाँ संदर्भ के अनुकूल हो, तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन या परिवर्तन भी है) को दृष्टि है।

और बंधकदाता ने—

<sup>1(1)</sup> बंधककर्ता को .....रुपए (केवल .....रुपए) का अग्रिम मंजूर कर दिया है। यह अग्रिम उतनी किसी भी और उस रीति में संदेश देना जो इसमें आगे बताई गई है।

<sup>1(2)</sup> बंधककर्ता को .....रुपए (केवल .....रुपए) का अग्रिम तारीख.....को उक्त नियम में उपवर्णित रीति में दे दिया है तथा उस उधार का ब्याज सहित प्रतिसंदाय तथा उक्त नियम में दिए हुए निवंधनों और शर्तों का, जिनका उल्लेख इसमें आगे किया गया गया है, अनुपालन में इसमें आगे दी हुई रीति से प्रतिभूत करां जिया है।

बंधककर्ता को बंधकदाता से उक्त अग्रिम निम्नलिखित किसीमें मिलाना है :

<sup>1(2)</sup> .....रुपए तारीख.....को मिल चुके हैं। <sup>1</sup>.....रुपए तब जब बंधककर्ता, बंधकदाता के पक्ष में इस विलेख का निष्पादन करेंगे।

<sup>2</sup> .....रुपए तब जब मकान का नियमण कुर्सी के स्तर तक पहुँचेगा।

<sup>2</sup> .....रुपए तब जब मकान का नियमण छत के स्तर तक पहुँचेगा, परन्तु यह तब जब कि बंधकदाता का यह समाधान हो जाता है कि उस खोल का विकास जिसमें मकान बनाया गया है, जल प्रदाय, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था, सड़कों, नालियों और मलबहन जैसी सुविधाओं को दृष्टि से पूरा हो गया है।)

1. जो लागू हो वह लिखिए ।

2. दिया—अदि अग्रिम के संदाय का दृग नियम ५ में विहित तंत्र से नियम है जो उत्तुमार इसकी मात्रा में परिवर्तन कर दिया जाएगा।

on the  
d first,

paid  
Rules  
to the  
onthly  
tagor  
hereby  
ownance  
of the  
entire  
failing  
rearter  
by sale  
It will,

said by  
des the  
always /  
to the  
.....  
encing  
lloving  
balance  
vanced  
aturity  
y/leave  
-retire-  
-annu-  
-security  
er with  
nay be  
in a

which the  
service  
t of the  
ditions  
and in  
remain  
recon at  
t by the  
herein,  
vance is  
tagor as

secure  
e to the  
nsfer or  
i Lease,

1 [और परिसर के पृष्ठकर्ता ने बंधक का अनुमतिदात इस शर्त पर किया है कि यदि इसमें अंतर्विष्ट शक्तियों के अधीन या अन्यथा संतुष्टि का विकल्प किया जाता है तो ऐसे विकल्प के बंधक के पश्चात् उसे उत्तरांगित दृढ़ि में उत्तरांगित हिस्सा दिया जाएगा जैसा कि उक्ता पहुँच में उपलब्ध है]

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है :

(i) (क) उक्त नियमों के अनुसरण में और उक्त नियमों के उपर्याप्त विवरणों के अनुसार बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रतिविधि करता है कि बंधककर्ता उक्त नियमों के सभी नियमितों और शर्तों का सदैव सम्पूर्ण रूप से अनुपालन करेगा और .....रुपए (केवल .....रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय .....रुपए (केवल .....रुपए) की .....मासिक किस्तों में अनन्ते (बंधककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय .....मास से अधिक मात्रान पूरा होने के पश्चात् बंधक का मास से अधिक आवाहन करेगा। बंधककर्ता इसके कठोरती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निवृत्ति भर्ते में से करने के लिए बंधकदार को प्राप्तिकृत करता है। उक्त अग्रिम की पूरी रकम देने के पश्चात् बंधककर्ता उस देव व्याज की भी .....मासिक किस्तों में उक्त रोति में और उक्त नियमों पर करेगा जो उक्त नियमों में विविष्ट हैं। परन्तु बंधककर्ता ब्याज सहित अग्रिम की पूरी प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्ण करेगा जिस तारीख को वह सेवा से निवृत्त होने वाली/बाली है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा/करेंगी तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे और उस समय देव अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज बसूली का बच्चे बंधक संपत्ति का विकल्प करके या विधि के अधीन अनुज्ञा दियी जाएगी तो इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(i) (द) उक्त नियमों के अनुसरण में और उक्त नियमों के अनुसार बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार से यह प्रतिविधि करता है कि बंधककर्ता उक्त नियमों के सभी नियमितों और शर्तों का सदैव सम्पूर्ण रूप से पालन करेगा और .....रुपए (केवल .....रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय .....रुपए (केवल .....रुपए) की .....मासिक किस्तों में, अपने (बंधककर्ता के) वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय .....मास से या मात्रान पूरा होने के पश्चात् बंधक का तारीख से यह हक होगा कि वह बंधक की अधिकृति की तारीख से पूर्ण करेगा। बंधककर्ता की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक किया जाएगा और उसकी अधिकृति की तारीख तक द्वारा उपादान/मृत्यु एवं देवानिवृत्ति उपादान में से बसूल किया जाएगा। बंधककर्ता की रकम की कठोरती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/सेवा निवृत्ति भर्ते में से तथा उस सेवे रकम की जिसका संदाय उसकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति/अधिकृति की तारीख तक नहीं किया गया है, कठोरती, जैसा कि इसमें पहले उसके द्वारा किया गया है उसके उपादान/मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपादान में से करने के लिए बंधकदार को प्राप्तिकृत करता है। यदि किरण भी पूरी बसूली नहीं हो पाती है तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी भी समय प्रवृत्त करे उस समय देव अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और बसूली का बच्चे, बंधक संपत्ति का विकल्प करके या विधि के अधीन अनुज्ञा दियी जाए रुति से बसूल करे। बंधककर्ता जाहे तो इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(ii) यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो इस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि बंधककर्ता दिवियां हो जाती हैं या सामान्य रूप से सेवा निवृत्ति अधिकृति से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहता है अथवा यदि अग्रिम के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि बंधककर्ता उक्त नियमों में विविष्ट और उसकी ओर से अनुपालन किए जाने वाले किसी निवृत्ति, शर्त और अनुबंध का पालन और अनुपालन नहीं करता है तो ऐसे प्रत्येक इसमें अग्रिम का संपूर्ण मूल द्वारा या उसका उत्तरांग या उसका भाग जो उस समय देव रहता है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, तथा उस पर .....4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जो बंधकदार द्वारा उक्त अग्रिम की पहली किस्त के दिए जाने की तारीख से परिवर्तित किया जाएगा, मुरन्त संदेश हो जाएगा। इससे किसी बात के होते हुए भी, यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बंधकदार, बंधककर्ता के विशद्दे ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा जो उक्तों (बंधककर्ता को) लागू सिवे के नियमों के अधीन उपयुक्त हो।

(iii) उक्त नियमों के अनुसरण में और उपर्युक्त प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर ब्याज के, जो उसके

टिप्पण : छंड (i) (क) और (i) (द) में से जो वायून ही उसे काट दीजिए।

1. यह (आनायव) अनुलम्बित की लागू होता है और जहां नहीं लागू हो वहां इसे उपलब्धान्वित किया जाए।

2. 180 से अधिक नहीं होंगी।

3. वे 60 से अधिक नहीं होंगी।

4. उक्त नियमों के बिना प्रभाव नहीं प्राप्त हो सकता।

written referred its and by the ely but :demp-  
oy and he said noney  
ms and i at the and to

hall be RTGA-  
rement/  
resents thereof  
shall be rtgaged private  
onsible instances  
ed that of shall  
hat the l power  
id in the ...50  
nd then security

'resident le of the shall be essor in ncerned property

:o grant,  
MORT-

> living fication's re there- ments of ordance reached illy been either by id certi- to the thereon

के लिए बंधककर्ता इसके द्वारा बंधकदार को तारीख..... के उक्त पट्टे में समाचिष्ट उक्त संपत्ति का जिसका और विशिष्ट रूप से वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है, उक्त संपत्ति पर (जिसे इसमें आगे बंधक संपत्ति कहा गया है) बंधककर्ता द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवतों अथवा तत्त्वमय उस पर रखी सामग्री का उक्त बंधक संपत्ति से संबंधित तभी या किसी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नों विहित अनुदान, अधिभस्तांतरण, अंतरण या हस्तांतरण, बंधकदार द्वारा की गई प्रसंविदाओं और इसमें अंतरिक्ष शर्तों के अधीन रहते हुए करता है। बंधकदार उक्त बंधक संपत्ति को पूर्ण रूप से किन्तु उक्त पट्टे के निवंशों और प्रसंविदाओं के अधीन रहते हुए प्रारंभ करता है। किन्तु यह इसमें आगे शिए हुए मानन संबंधी परतुक के अधीन होगा। यह भी उपवंश है तथा इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करता किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता, बंधकदार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त सूलवन और आज का और ऐसी अन्य रकम वा (यदि कोई हो) जो अभिकर्ता द्वारा बंधकदार को उक्त नियमों और शर्तों के अधीन संदेश अदायारित की जाए, तभ्यक् रूप से संदाता इसमें दी हुई रीत से कर देगा तो बंधकदार उसके दाव किसी भी समय बंधककर्ता के अनुरोध और खर्च पर, उक्त बंधक संपत्ति का प्रति-अधिभस्तांतरण, प्रतिअंतरण और प्रति हस्तांतरण बंधककर्ता की ओर उसके उपयोग के लिए या उसके निवेशानुसार कर देगा।

(iv) इसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता अपनी ओर से की गई और इसमें दी हुई प्रसंविदाओं को भंग करता है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाता है या सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति, अधिविधिता से मिल किसी कारण से सेवा में नहीं रहता है या यदि उन सभी रकमों के जो इस विनेश के अधीन बंधकदार को संदेश हैं, और उन पर आज के पूरी तरह से चुकाए जाने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है या यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग इस विलेख के अधीन या अन्यथा तुरंत संदेश हो जाता है तो ऐसी प्रत्येक दशा में बंधकदार के लिए यह विधियुक्त हीगा कि वह उक्त बंधक संपत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, एक साथ या टुकड़ों में और लोक नीलामी द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे। उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका काय कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विखिड़ित कर दे और उसका पुनः विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार नहीं जो ऐसा करने से हो। उसे यह शक्ति भी होगी कि वह ऐसा किसी विक्रय को प्रमाणात्मक करने के लिए, ऐसे सभी कार्य करे और हस्तांतरण पत्रों का निष्पादन करे जो बंधकदार ठीक समझे। इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि बंधकदार की क्रम धन के लिए बंधकदार की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि केता या केताओं के क्रम धन का भुगतान कर दिया है। यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त शक्ति के अनुसरण में किए गए किसी विक्रय के प्रभाव धन की बंधकदार न्याय के रूप में धारण करेगा। उसमें से संवेदनशील ऐसे विक्रय पर हुए खर्च का सदाय किया जाएगा<sup>1</sup> (और उसके बाद, बंधक संपत्ति के पट्टाकर्ता को उक्त पट्टे के खंड..... के अनुसरण में, अनुपाजित वृद्धि के 50 प्रतिशत का सदाय किया जाएगा) और तब इस विलेख की प्रतिश्वास पर तत्त्वमय देव धन को चुकाने में या उसके लिए धन का सदाय किया जाएगा और यदि कोई धन वाकी रहता है तो वह बंधककर्ता को दे दिया जाएगा।

(v) बंधक या भारित संपत्ति के विक्रय या पुरोबंधकी की दशा में, पट्टाकर्ता (भारत के राष्ट्रपति) को आवासिक भू-खंड के मूल्य में पूर्वोक्त रूप से अनुपाजित वृद्धि के पक्षास प्रतिशत का जूसा कि ऊपर बताया गया है, दावा करने और उसे वसूल करने का हकदार होगा और उक्त अनुपाजित वृद्धि में पट्टाकर्ता के अंश की रकम, उक्त बंधक या भारित पर पूर्विकता रखते हुए प्रथम भार होगी। उक्त आवासिक भू-खंड के बाजार मूल्य के बारे में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधित पक्षकारों पर बाबदकर होगा, परंतु पट्टाकर्ता को यह अग्रक्याधिकार होगा कि वह बंधक या भारित संपत्ति का क्रम पूर्वोक्त रूप में अनुपाजित वृद्धि के पक्षास प्रतिशत की कटौती करने के पश्चात् कर दे।

(k) बंधककर्ता को इस बात का विधियुक्त अधिकार और प्राधिकार है कि वह बंधक संपत्ति का बंधकदार को और उसके उपयोग के लिए अनुदान, अभिभस्तांतरण, अंतरण, समन्वयन और हस्तांतरण उन्नत रीति में करें।

<sup>1</sup>(ख) कि बंधककर्ता मकान के निर्माण/उक्त मकान में आवास स्थान में परिवर्धन का काम उस अनुसोदित नवदो और उन विनिर्देशों के अनुसार ही करेगा जिनके आधार पर उक्त अग्रिम की संवगता की गई और वह मंजूर किया गया है, जब तक कि उससे विचलन की अनुज्ञा बंधकदारने न दे दी हो। बंधककर्ता कुर्सी/छत पड़ने के स्तर पर अनुज्ञेय अग्रिम की किसी के लिए आवेदन करते समय यह प्रभागित करेगा कि निर्माण कार्य कुर्सी/छत पड़ने के स्तर पर पूर्व गता है और मंजूर किए गए अग्रिम में से ली जा चुकी रकम का वस्तुतः उपयोग मकान के निर्माण के लिए किया गया है। वह उक्त प्रभाग-पत्रों के सही होने का सत्यापन करने के लिए बंधकदार को स्वयं या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देगा/देंगी। यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रभागपत्र देता है तो उसे बंधकदार को यह संपूर्ण अग्रिम, जो उसे मिला है उस उस

<sup>1</sup> दिल्ली में नजून भूमि के मामले में और इसी प्रकार के मामलों में जहा भी लागू हो।

<sup>2</sup> जहा अधिक बने बनाए मकान के क्रम के लिए है वहा खंड (ख) और (ग) लागू नहीं होंगे।

## रिक्ति इत्तावेगों के शाक प्रहृष्ट, जिल्द IV

8

iplinary

accom-  
unless  
or shall  
culated  
date of  
dvance

the Life  
id shall  
d Rules  
; Mort-  
time to  
ection,  
flood  
he said  
anding  
thereon

.....  
as if it  
r to the  
a view  
in the

lost and  
e mort-  
Mortga-

us after  
as been

my due  
dvance

case of  
tenants  
oserved  
ted.

of the  
period  
in the  
demini-  
ncurred  
or non-

umber,

पर.....<sup>1</sup> प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा। इसके अतिरिक्त बंधककर्ता के विरुद्ध उसको लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती।

(ग) बंधककर्ता मकान वा निमायि/उक्त मकान में आवास स्थान में परिवर्तन .....<sup>2</sup>  
के अठारह मास के भीतर पूरा करेगा, जब तक कि बंधकदार ने इस काम के लिए लिखित रूप में समव न बढ़ा दिया हो। इसमें व्यावधिकम हीन पर बंधककर्ता वो, उसे दी गई संपूर्ण रकम का और उक्त नियमों के अधीन परिकलित ब्याज का एक मूल्य प्रतिसंदाय तुरंत करना होगा। बंधककर्ता मकान पूरा दोनों की तारीख की सूचना बंधकदार को देना और वह बंधकदार को इस आशय का एक प्रमाणपत्र देना कि अग्रिम की पूरी रकम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था।

(घ) बंधककर्ता भारतीय बीमा बीमा लिंगम में उस मकान का तुरंत अपने खर्च पर बीमा उत्तरी रकम के लिए करा-एगा जो उक्त अग्रिम की रकम से कम न हो। वह उसे उस समय तक जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तीर से चुका नहीं दिया जाता है, अग्रिम, वाढ़ और तड़ित, से हानि या नुकसास के विरुद्ध बीमाकृत रखेगा जैसा कि उक्त नियमों में उपलब्ध है, और बीमा पालिसी बंधकदार को संरक्षित करेगा। बंधककर्ता समय-समय पर उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से देगा और जब उससे अपेक्षा की जाए, प्रीमियम की रसीदें बंधकदार के लिए यथा विधिपूर्ण, किन्तु आवश्यक नहीं होगा वह उक्त मकान का बीमा बंधककर्ता के खर्च पर करा ले और प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम में जोड़ ले, तब बंधककर्ता को उस पर..... दर पर ब्याज देना होगा भानी प्रीमियम की रकम उसको पूर्वान्तर अग्रिम के भाग के रूप में दी गई थी। यह ब्याज उसे उस समय तक देना होगा जब तक कि वह रकम बंधकदार को चुका नहीं दी जाती है या जब तक उसकी बसूली उस रूप में नहीं हो जाती है भानी वह इस विलेख की प्रतिक्रिया के अंतर्गत आने वाली रकम हो। बंधककर्ता, जब भी उससे अपेक्षित हो, बंधकदार को एक पत्र देगा जो उस बीमा करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस मकान का बीमा कराया गया है। यह पत्र इसनिए होगा कि बंधकदार बीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना दे सके कि बंधकदार उस बीमा पालिसी में हितवद है।

(ङ) बंधककर्ता उक्त मकान को अपने खर्च पर बच्छी मरम्मत की हालत में रखेगा और बंधक संपत्ति की बाबत नगरपालिका के और अन्य सभी स्थानीय रेट, कर, और शब्द सभी देनदारियाँ उस समय तक नियमित रूप से देगा जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तीर से चुका नहीं दिया जाता है। बंधककर्ता, बंधकदार को उक्त बासव का एक वार्षिक प्रमाण-पत्र भी देगा।

(च) बंधककर्ता, मकान पूरा होने के बाद बंधकदार को यह मुनिश्चित करने के लिए कि मकान अच्छी मरम्मत की हालत में रखा गया है, निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देगा जब तक कि अग्रिम पूरी तीर से चुका नहीं दिया जाता है।

(छ) बंधककर्ता ऐसी कोई रकम और उस पर देय ब्याज, यदि कोई हो, बंधकदार को लौटाएगा जो अग्रिम के मद्दे उस तथ्य से आधिक्य में ली गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था।

(ज) तारीख ..... का उक्त पटा जब उक्त बंधक संपत्ति का विधिमान्य और अस्तित्वयुक्त पटा है और वह किसी भी रूप में शून्य या शून्य कर्तीय नहीं है तब पटा विनेक में या उसके द्वारा आरक्षित किए एक सदाय और उसमें दी हुई प्रसंविदाओं और शर्तों का पालन इस विलेख की तारीख तक कर दिया गया है और इसमें इसके पूर्व वर्णित रीति में इसका समनुदेशन किया जा सकता है।

(झ) बंधककर्ता उस समय तक, जब तक कोई भन उक्त बंधक संपत्ति की जो इसमें इसके पूर्व इसके द्वाया समनुदेशित अभियक्त है, प्रतिनूति पर देय रहता है और हर हालत में उक्त करार की अवधि तक, पटे की सभी प्रसंविदाओं का और उक्त पटा करार में अंतर्विष्ट शर्तों का सम्बन्ध रूप से अनुपालन करेगा तबा बंधकदार को उन सभी अनुदोजनों, वार्डों, कार्यवाहियों/बच्चों, प्रभारी, दावों और मारों की बाबत क्षतिपूति रखेगा जो उक्त किए जाने के कारण या उक्त प्रसंविदाओं और शर्तों के बाबत किए जाने वे किसी के भंग किए जाने, पालन न किए जाने वा अनुपालन न किए जाने के कारण उपगठहोंगी।

(ञ) बंधककर्ता, बंधक संपत्ति को इस विलेख के जारी रहने के दौरान न तो भारित करेगा, न उस पर विलंगम सूचित करेगा, न उसका अन्य संकरण करेगा और न उसका अन्य प्रकार से व्यय करेगा।

<sup>1</sup> नियम के अधीन प्रसार्य आज को प्रसार्य दर।

<sup>2</sup> टिप्पणी : वहाँ अग्रिम बने बनाए मकान के क्य के लिए है वहाँ बंड (घ) और (ङ) ताग नहीं होंगे।

<sup>3</sup> वहाँ वह तारीख लिखिए जिस तारीख को अग्रिम की पटली किसी संघरकर्ता को दी गई है।

#### विधिक दस्तावेजों के मानक प्रणप, जिल्ड IV

9

“किंतु, यदि बंधककर्ता किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में दूसरा बंधक सृजित करने की प्रसंविदा करता है तो वह बंधकदार की पूर्व अनुमति किए चिना ऐसा नहीं करेगा और सम्मति दिए जाने पर दूसरे बंधक का प्राप्त बंधकदार को अनुमोदन के लिए प्रत्युत किया जाएगा।”

(ट) इसकी किसी बात के होते हुए भी बंधकदार को यह हक् होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम और उस पर अत्याज, जिनका संदाय बंधककर्ता की सेवानिवृत्ति के समय तक या सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, बंधककर्ता को मंजूर किए जाने वाले संपूर्ण उपदान या उसके किसी विनार्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले। इसके साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ता ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से .....मंत्रालय/कार्यालय की ओर .....ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है।<sup>1</sup>

उनका (बंधककर्ता) .....ने

(हस्ताक्षर)

- (1) .....(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)  
.....(प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर)
- (2) .....(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)  
.....(द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से तथा उनके आदेश और निदेश से .....मंत्रालय/कार्यालय के श्री .....ने

(हस्ताक्षर)

- (1) .....(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)  
.....(प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर)
- (2) .....(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)  
.....(द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।  
घणान दें :

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क देने से पूर्व यह मुत्तिष्ठित करने के लिए कि क्या स्टाम्प शुल्क के संदाय से कोई छूट मिल सकती है, संबंधित राज्य सरकारों/प्रशासनों से संपर्क कर लें।

1. इसे बंधककर्ता भरेगा।

ENT  
vNINE  
serving  
repug-  
of the  
less ex-  
terior part.dor) the  
ind.

...

bent of  
(here-  
ide any  
for an  
on and  
tioned)  
copy of  
herein;alment)  
sum of  
: Borro-amount  
.....  
nencing  
: month  
ises the  
ce bills;asser of  
ame of  
sion of  
ules;'awal of  
pproved  
ictionedReceived  
andto the  
presents  
as soon  
favour,

केंद्रीय सरकार के सेवक द्वारा भूमि का क्रय करने और मकान बनाने के लिए उस दशा में निष्पादित किए जाने वाले करार का विशेष प्रहृष्ट जब उसे भूमि का हक, मकान बन जाने के पश्चात् संकान्त होता है।

यह करार एक पक्षकार के रूप में थी....., जो इस समय..... के रूप में सेवा कर रहा है (जिसे इसमें आगे "उद्धार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिय, निष्पादक, प्रणालीक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और उसपर पक्षकार के रूप में भास्तु के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके पदोन्तर्यामी और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख..... को किया गया है।

उद्धार लेने वाला इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का..... से क्रय करना चाहता है और उक्त भूमि पर मकान बनाना चाहता है। (यहाँ विकेता का नाम लिखिए)

उक्त..... (विकेता का नाम लिखिए) द्वारा उद्धार लेने वाले के पक्ष में उक्त भूमि का हस्तांतरणपत्र तभी निष्पादित किया जाएगा जब मकान बन जाएगा।

उद्धार लेने वाले से उन नियमों के, जो मकानों के निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सरकार के सेवकों के लिए अधिकारों के भंजूर किए जाने का विनियमन करने के लिए भास्तु सरकार द्वारा बनाए गए हैं (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है और इसमें जहाँ संदर्भ से अनुकूल है, तत्त्वमय प्रवृत्त उसके संशोधन या परिवर्धन भी हैं) उपबंध के अधीन उक्त भूमि क्रय करने और उस पर मकान बनाने के लिए.....रु. (.....रुपए) के अधिक के लिए सरकार को आवेदन किया है। सरकार ने, उद्धार लेने वाले को.....रु. (यहाँ मंजूर की गई रकम लिखिए) (.....रुपए) का अधिक उक्त प्रयोगन के लिए मंजूर कर दिया है। इस संबंध में देखिए.....मंकालय/कायालिय का पत्र सं०.....तारीख..... जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित नियंत्रणों और शर्तों पर यह अधिक मंजूर किया गया है।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है कि :—

(१) इस करार के निष्पादन के बाद भूमि का क्रय करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली.....रु की राशि और (यहाँ पहली किस्त की रकम लिखिए) उक्त नियम के उपबंध के अनुसार सरकार द्वारा उद्धार लेने वाले को दी जाने वाली.....रु की राशि के प्रतिकलस्वरूप (यहाँ दी जाने वाली शेष रकम लिखिए) उद्धार लेने वाला सरकार के साथ यह करार करता है कि वह :—

(क) उस समय प्रवृत्त उक्त नियमों के अनुसार लगाए गए व्याज सहित .....रु की उक्त रकम का.....रु (यहाँ उद्धार की पूरी रकम लिखिए) की .....मासिक किस्तों में सरकार को प्रतिसंदाय (किस्तों की संख्या लिखिए) अपने वेतन में से करेगा। यहाँ प्रतिसंदाय वर्ष..... के.....मास के अवधार मकान पूरा होने के पश्चात्वर्ती मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर ही, प्रारंभ होगा। उद्धार लेने वाला एसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन, छहोंही वेतन और निवाह भत्ते के बिलों में से करने के लिए सरकार को प्राप्तिकृत करता है।

(घ) ज्योंही वह उक्त भूमि के क्रय मूल्य का संदाय कर देगा और उक्त भूमि का कब्जा ले लेगा, वह उक्त भूमि की बाबत उक्त भूमि के क्रेता के रूप में अपने सारे अधिकारों का प्रतिभूति के रूप में, सरकार के पक्ष में और उक्त (विकेता का नाम लिखिए) के विलेख समनुदेशन करेगा और इस प्रयोगन के लिए उक्त नियमों में उपबंधित प्रहृष्ट में अतिरिक्त हस्तांतरणपत्र निष्पादित करेगा।

(ग) उक्त मकान का निर्माण सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले उस नवयों और उन विनियोगों के अनुसार ही जिनके आधार पर अधिकार की रकम की संगणना की जानी है और वह अंतिम रूप से मंजूर की जानी है, प्रथम किस्त लेने की तारीख के अठारह मास के भीतर या उस बढ़ाई गई अवधि के भीतर पूरा करेगा जो सरकार द्वारा अधिकायित की जाए।

(घ) यदि मकान बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रकम इस विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त की गई रकम से कम है, तो उद्धार लेने वाला शेष रकम का सरकार की तुरत प्रतिसंदाय करेगा; और

(ड) ज्योंही मकान बन जाता है और उसके पक्ष में आवश्यक अभिहस्तांतरण पत्र या हस्तांतरण पत्र निष्पादित हो जाता है, तो वह इस विलेख के अधीन उद्धार लेने वाले को अधिक दी गई रकम के लिए और उक्त रकम पर संवेद्य व्याज के लिए भी प्रतिभूति के रूप में, उक्त भूमि और उस पर बनाया गया मकान सरकार के पास बंधक रखने के लिए उक्त नियमों द्वारा उपबंधित प्रहृष्ट में दस्तावेज का निष्पादन करेगा।

#### विधिक दस्तावेजों के मानक प्रृष्ठ, जिला IV

11

seed, or  
possession  
has been  
or dies,  
become

interest  
specified  
becomes  
over the

.....  
sident of

.....  
orrower)

....  
of the  
India).

lakarashira-  
pect of the

(2) यदि उधार लेने वाला उपर किए गए करार के अनुसार, उक्त मकान का निर्माण पूरा करने में अनफल रहता है या यदि उक्त भूमि के क्षय मूल्य का संदाय करने और कदमा प्राप्त करने के पश्चात् अतिरिक्त हस्तांतरणपत्र निष्पादित नहीं करता है या उसके पक्ष में आवश्यक अभिहस्तांतरणपत्र या हस्तांतरणपत्र निष्पादित कर दिए जाने के पश्चात् बंद्रक विलेख निष्पादित नहीं करता है या यदि उधार लेने वाला दिवानिया हो जाता है या सरकार की नौकरी छोड़ देता है या मर जाता है तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर लगने वाले व्याज अहित सरकार को तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगी ।

(3) सरकार को यह हक होगा कि वह, उक्त अग्रिम की शेष रकम और उस पर व्याज जिसका संशय उसकी सेवानिवानि के समय तक या यदि सेवानिवानि से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, उस सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले जो उधार लेने वाले को मंजूर किया जाए ।

(4) इस निमिन सरकार के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जिना, यदि कोई रकम उधार लेने वाले द्वारा सरकार को प्रतिदेय या संदेय हो जाती है तो सरकार उस रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की हकदार होगी ।

<sup>1</sup>(5) इस विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा उसे सरकार देगी ।

इसके साथसाथ उधार लेने वाले ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से .....मंदालय/कार्यालय के श्री.....ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

<sup>2</sup>अनुसूची जिसका उल्लेख उपर किया गया है

(भूमि का वर्णन करें)

उक्त उधार लेने वाले.....  
ने

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

(1) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

.....मंदालय/कार्यालय के

श्री.....ने

(1) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....हस्ताक्षर

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

(भारत के राष्ट्रपति के लिए

और उनकी ओर से)

1. यदि कटार प्रत्यक्ष, गुरुवार, सूब्ध प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाबी भंगाल और बिहार से शिव राज्यों में निष्पादित किया जाता है तो इन बंद को काट दीवित (संघ राज्योंमें निष्पादित करारों के बारे में यह बंद रखा जाएगा) ।

2. यह उधार लेने वाला भरेगा ।

NMENT  
ILDING  
VANCE  
M AND  
BUILT.  
THOU-

.....  
pression  
icators  
overnment  
ssors in  
described

ment of  
(herein-  
amend-  
advance  
.....  
he terms  
.....  
..(insert  
ditions

.....  
id land.  
fore said  
borrower

ady paid  
d by the  
payment  
.....  
described  
rt name

sert full  
ne being  
.....  
borrower  
ary and

rawal of  
of which  
as may  
our with-

received

केन्द्रीय सरकार के सेवक द्वारा मकान बनाने के लिए अग्रिम की दूसरी किस्त प्राप्त करने के पूर्व उस दशा में निष्पा-  
दित किए जाने वाले करार का विशेष प्रवृत्ति जिसमें उसने उचित प्रवृत्ति में करार का निष्पादन करने के पश्चात्  
भूमि के क्रय के लिए अग्रिम की पहली किस्त प्राप्त कर ली है और जबकि भूमि का हक उसे मकान बन जाने के  
पश्चात् संक्रांत होगा ।

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री.....जो.....का पुत्र है और इस समय .....के  
रूप में सेवा कर रहा है (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रयासक  
और विधिक प्रतिनिधि भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में  
भारत के राष्ट्रपति (जिसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके पदोन्नतवर्ती और समनुदेशित भी हैं, जब तक  
कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख .....को किया गया है ।

उधार लेने वाला इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित .....में स्थित भूमि पर मकान बनाना चाहता है ।

उधार लेने वाले ने उन नियमों के, जो मकानों के निर्माण आदि के लिए केन्द्रीय सरकार के सेवकों के लिए अग्रिम के मंजूर किए  
जाने का विनियमन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है और इसके अन्तर्गत  
जहाँ संदर्भ के अनुकूल हों, तत्समय प्रवृत्ति उसके संशोधन या परिवर्तन भी हैं) के उपबंध के अधीन .....रुपए  
अग्रिम के लिए परकार को अविदेन किया है और सरकार ने उधार लेने वाले को .....रुपए का (यहाँ मंजूर की गई  
रकम लिखिए) अग्रिम उक्त प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है । इस संबंध में देखिए .....मंत्रालय/कार्यालय का तारीख .....  
का पत्र सं० .....जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित निर्धनों और शर्तों पर यह अग्रिम  
मंजूर किया गया है । इसके पक्षकारों के बीच तारीख ..... को निष्पादित करार के अनुसरण में सरकार ने उपर्युक्त मंजूर  
को गई .....रु० की राशि (यहाँ मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) में से .....रु० (यहाँ दो गई पहली किस्त की रकम  
लिखिए) की राशि उधार लेने वाले को उक्त करार में वर्णित निर्धनों और शर्तों पर दी है जिससे कि वह उक्त भूमि का क्रय कर सके;

उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त अग्रिम में से उक्त भूमि के क्रय मूल्य का संदाय .....को (यहाँ विक्रेता का नाम लिखिए)  
कर दिया है और उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है;

उधार लेने वाले ने सरकार से उपर्युक्त मंजूर की गई रकम की शेष रकम दिए जाने का अनुरोध किया है (उधार लेने वाले के  
नाम उक्त भूमि का अभिहस्तातरण उक्त ..... (विक्रेता का नाम लिखिए) द्वारा तभी निष्पादित किया जाएगा जब  
मकान बन जाएगा ।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है:

(१) सरकार द्वारा दो जाने वाली .....रुपए (यहाँ पहली किस्त की रकम लिखिए) की राशि और उक्त नियमों के  
उपबंध के अनुसार सरकार द्वारा उधार लेने वाले को दो जाने वाली .....रु० (यहाँ दो जाने वाली शेष रकम लिखिए) की  
राशि के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला .....रु० (.....रु०) (यहाँ मंजूर किए गए उधार की पूरी रकम  
लिखिए) की उक्त रकम के प्रतिसंदाय को इसकी अनुसूची में वर्णित उक्त भूमि के केता के रूप  
में और उक्त .....(विक्रेता का नाम लिखिए) के विरुद्ध अनेसी सभी अधिकार समनुदेशित करता है ।

(२) उधार लेने वाला सरकार के साथ यह करार करता है कि वह—

(क) उस समय प्रवृत्त उक्त नियमों के अनुसार लगाए गए ब्याज सहित .....रु० (यहाँ मंजूर की गई पूरी रकम  
लिखिए) .....की उक्त रकम का रु० की .....(यहाँ संख्या भरें) मासिक  
किस्तों में सरकार को प्रतिसंदाय अपने वेतन में से करेगा । यह प्रतिसंदाय वर्ष .....के .....मास से अयाम मकान  
पूरा होने के पश्चात वर्ती मास से इसमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा और उधार लेने वाला ऐसी किस्तों की कटौती उसके  
मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और निवाह भने के बिलों में से करने के लिए सरकार को प्रार्थित करता है ।

(ख) उक्त मकान का निर्माण, पहली किस्त प्राप्त करने की तारीख से अठारह मास के भीतर या उस बढ़ाई गई अवधि के  
भीतर जो सरकार अधिकथित करे, उस अनुभावित नवयो और उन विनिर्देशों के अनुसार ही पूरा करेगा जिनके आधार पर अग्रिम  
की रकम की संगणना की गई है और वह मंजूर की गई है और मकान पूरा हो जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर  
अपने पत्र में आवश्यक अभिहस्तातरणपत्र या हस्तातरणपत्र प्राप्त करेगा ।

(ग) यदि मकान बनाने के लिए वस्तुतः दो गई रकम उधार लेने वाले द्वारा प्राप्त की गई रकम से कम है तो शेष रकम  
का सरकार को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा ।

## विधिक दस्तावेजों के मानक प्रलेप, जिल्ड IV

13

(८) यदोंही मकान बन जाता है और उसके पश्च में आवश्यक अभिहस्तांतरण पत्र या हस्तांतरणपत्र निर्वाचित हो जाते हैं उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई रकम के लिए और उक्त रकम के लिए संदेश व्याज के लिए भी प्रतिशूति के रूप में, उक्त भूमि और उस पर बनाए गए मकान को सरकार के पास वंचक रखने के लिए उक्त नियमों द्वारा उपवंचित प्रलेप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा।

(९) यदि उधार लेने वाला इसमें पूर्व उपवंचित रूप में उक्त मकान का नियमित पूरा करने में असफल रहता है या अपने रक्ष में आवश्यक अभिहस्तांतरणपत्र या हस्तांतरणपत्र निष्पादित करने में या वंचक विलेख निष्पादित करने में असफल रहता है या यदि उधार लेने वाला दिवानिया हो जाता है या सरकार की नीकरी छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर लगने वाले व्याज सहित, सरकार को तुरन्त शोध्य और संदेश हो जाएगी और सरकार अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके द्वारा अनुदत्त प्रतिशूति की वसूली के लिए कार्यवाही करने की हकदार होगी।

(१०) सरकार को यह हूँ होगा कि वह उक्त अग्रिम को शेष रकम और उस पर व्याज जिसका संदाय उसकी (उधार लेने वाले की) देवानिवृत्ति के समय तक था यदि देवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है उन सम्बूर्ध उपदाता या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल करने जो उधार लेने वाले को मंजूर किया जाए।

(११) इस नियमित सरकार के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई रकम उधार लेने वाले द्वारा सरकार को प्रतिवेद्य या संदेश हो जाती है तो सरकार उस रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की हकदार होगी।

(१२) (१) इस विलेख पर जो भी स्टाम्प गुल्क देना होगा उसे सरकार देगी।

इसके साक्षयस्वरूप उधार लेने वाले ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से .....मंत्रालय/कायालिय के श्री.....ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है<sup>२</sup>

(भूमि का वर्णन करें)

उक्त उधार लेने वाले .....ने

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

(१) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

(२) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

.....मंत्रालय/कायालिय के

श्री.....ने

हस्ताक्षर

(भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से)

(१) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

(२) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

1. यदि कशर असम, गुवर्नर, मण्ड प्रदेश, महाराष्ट्र, झंगाब, हारियाचा, राजस्वात, उत्तर प्रदेश, पंजाबी बंगाल, और बिहार से भिन्न राज्यों में निष्पादित किया जाता है तो इन बड़े को काट दीवाइ (मंत्र राज्यलंबों में निष्पादित कर्त्तव्यों के बारे में पह बंड रखा जाएगा)।

2. उधार लेने वाला भरेगा।

nd nine  
serving  
or repug-  
ns) of the  
unless ex-  
her part.

he Sche-  
e out of  
struct a  
borrower  
ted and  
India to  
after re-  
endment  
l Rupees  
.....  
l on the

d by the  
be paid  
payment  
.....)  
escribed  
ie of the

sert full  
being in  
.....

hereby  
istence

' drawal  
he basis  
d period  
ance in

received

to the  
payable  
ult and

#### विधिक दस्तावेजों के मानक प्रकार, जिल्द IV

14

केन्द्रीय सरकार के सेवक द्वारा मकान बनाने के लिए अधिगम की पहली किस्त लेने के पूर्व उस दशा में निष्पादित किए जाने वाले करार का विशेष प्रकृति जिसमें उसने भूमि का क्या अपने ही घन स किया है किन्तु भूमि हक मकान बन जाने के पश्चात् उसे संकाँत होगा।

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री.....जो श्री.....का पुत्र है और इस समय.....के रूप में सेवा कर रहा है (जिसमें आगे "उद्धार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी है, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदीयती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख.....को किया गया है।

उद्धार लेने वाले ने इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित और.....में स्थित भूमि का.....(यहां विक्रेता का नाम लिखिए) से क्या करने का करार किया है और अपने ही घन से उसके मूल्य का संदाय कर दिया है और उक्त भूमि का कव्या प्राप्त कर लिया है। उद्धार लेने वाला उक्त भूमि पर मकान बनाना चाहता है और उक्त.....(विक्रेता का नाम लिखिए) उद्धार लेने वाले के पक्ष में उक्त भूमि का अभिहस्तांत्रणपत्र तभी निष्पादित करेगा जब मकान का निर्माण हो जाएगा। उद्धार लेने वाले ने उन नियमों के, जो मकानों के निर्माण आदि के लिए केन्द्रीय सरकार के सेवकों के लिए अधिगम मंजूर किए जाने का विनियमन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है तत्समय प्रवृत्त उसके संबोधन या परिवर्णन भी हैं) उपवर्य के अधीन सरकार को.....रु० के अधिगम के लिए आवेदन किया है और सरकार ने उद्धार लेने वाले को.....रु० (यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) का अधिगम उक्त प्रयोगन के लिए मंजूर कर दिया है। इस संबंध में देखिए.....मंत्रालय/कार्यालय का तारीख.....पक्ष सं०.....जिसकी एक प्रति इस विवेद के साथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित नियंत्रणों और शर्तों पर उक्त अधिगम मंजूर किया गया है।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :

(1) इस करार के नियमों के उपर्युक्त के अनुसार सरकार द्वारा उद्धार लेने वाले को दी जाने वाली.....रु० (यहां पहली किस्त की रकम लिखिए) की राशि और उक्त नियमों के उपर्युक्त के अनुसार सरकार द्वारा उद्धार लेने वाले को दी जाने वाली.....रु० की रोप रकम के प्रतिफलस्वरूप उद्धार लेने वाला.....रु० (केवल.....रु०) (यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के आशय से सरकार को उक्त भूमि के जिसका वर्णन इसकी अनुसूची में किया गया है, क्रेता के रूप में उक्त भूमि की बाबत और उक्त.....(यहां विक्रेता का नाम लिखिए) के विरुद्ध अपने सभी अधिकारों का प्रतिभूति के रूप में समनुदेशन करता है।

(2) उद्धार लेने वाला सरकार के साथ करार करता है वह :—

(क) उस राम्य प्रवृत्त उक्त विनियम के अनुसार उस पर लगाए गए व्याज सहित .....रु० (यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए) की उक्त रकम का .....रु० की.....(यहां संख्या भरें) मासिक विरतों में सरकार को प्रतिसंदाय अपने वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय वर्ष.....के.....मास के अधिवा मकान पूरा होने के पश्चात्वार्ती मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा और उद्धार लेने वाला ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और निर्वाह भर्ते के विलों में से करने के लिए सरकार की प्राधिकृत करता है।

(व) उक्त मकान का निर्माण, पहली किस्त प्राप्त करने की तारीख से अठारह मई गई अवधि के भीतर जो सरकार अधिकृत करे, उस अनुमोदित नवों और उन विनियोगों के अनुसार ही पूरा करेगा जिनके आधार पर अधिगम की रकम की संगणना की गई है और वह मंजूर की गई है और मकान पूरा हो जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अपने पक्ष में आवश्यक अभिहस्तांत्रण पक्ष या हस्तांतरण पक्ष से प्राप्त करेगा।

(ग) यदि मकान बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रकम उद्धार लेने वाले द्वाया प्राप्त की गई रकम से कम है तो योप रकम का सरकार को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा।

(घ) यदोंही मकान बन जाता है और उसके पक्ष में आवश्यक अभिहस्तांत्रणपत्र या हस्तांतरणपत्र निष्पादित हो जाते हैं, उद्धार लेने वाले को अधिगम दी गई रकम के लिए और उक्त रकम के लिए भी प्रतिभूति के रूप में, उक्त भूमि और उस पर बनाए गए मकान को सरकार के पास संबंधक रखने के लिए उक्त नियमों द्वारा उपर्युक्त प्रकृति में दस्तावेज का निष्पादन करेगा।

विधिक वस्तावें के मानक प्रूप, जित्व 1V

15

(3) यदि उधार लेने वाला इसमें पूर्व उपर्युक्त रूप में उक्त मकान का निर्माण पूरा करने में असफल रहता है या अपने पक्ष में आवश्यक अभिहृततात्तरणपत्र प्राप्त करने में या बंबक पत्र निष्पादित करने में असफल रहता है या यदि उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है या सरकार की नौकरी छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर लगने वाले व्याज सहित, सरकार को तुरन्त शोष्य और संदेय हो जाएगी और सरकार अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, इसके द्वारा अनुदत्त प्रतिमूर्ति की वसूली के लिए कार्यवाही करने की हकदार होगी।

(4) सरकार को यह हक होगा कि वह उक्त अग्रिम की शेष रकम और उस पर व्याज जिसका संदाय उसकी (उधार लेने वाले की) सेवानिवृत्ति के समय या यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है; उस सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले, जो उधार लेने वाले को मंजूर किया जाए।

(5) इस निमित्त सरकार के किसी अन्य अधिकार के पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, यदि कोई रकम उधार लेने वाले द्वारा सरकार को प्रतिदेय या संदेय हो जाती है तो सरकार उस रकम को भू-प्राजस्व की वकाशा के रूप में वसूल करने की हकदार होगी।

<sup>1</sup>(6) इस खिलेख पर जो भी स्टाप शुल्क देना होगा उसे सरकार देगी।

इसके साक्षयस्वरूप उधार लेने वाले से और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....मंत्रालय/कार्यालय के श्री.....ने इस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है  
(भूमि का वर्णन करें)

उक्त उधार लेने वाले ....., ने

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

(1) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)  
.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)  
.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।  
.....मंत्रालय/कार्यालय के श्री.....ने

(1) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)  
.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

(भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से)

(2) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)  
.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

यदि करार असम, गुजरात, गोदावरी, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, योजवान, उत्तर प्रदेश, पान्चाशील बंगाल और बिहार से मिल राज्यों में निष्पादित किया जाता है तो इस खण्ड को काट वीत्रिप (संघ राज्यवेदों में निष्पादित करारों के बारे में यह खण्ड रखा जाएगा)।

यदि उधार लेने वाला भरेगा।

Pradesh,  
in respect

## प्रतिभू बंधपत्र

यह सबको ज्ञात हो कि मैं.....जो.....का पुत्र और .....जिसे मे.....का निवासी हूँ और इस समय.....मे स्थायी.....के रूप में नियोजित हूँ (जिसे इसमें आगे "प्रतिभू" कहा गया है), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके पद-संवर्ती और समनुदर्शिती भी हैं जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवाजित या उसके विषय नहीं है) .....रु० ०० (केवल.....रुए) की रकम का सरकार को संदाय करने के लिए वचनबद्ध हूँ और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूँ। यह वृत्तिय पूर्णतः और तभी रूप में करने के लिए मैं, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूँ। इसके साथस्वरूप मैं आज.....को इस पर अपने हस्ताक्षर करता हूँ।

.....ने जो.....का पुत्र और .....जिसे मे.....का निवासी है और इस समय.....मे अस्थायी/स्थायी.....के रूप में नियोजित है (जिसे इसमें आगे "उद्धार लेने वाला" कहा गया है)<sup>1</sup> (किंतु जो तारीख.....को सेवानिवृत्त होने वाला है)<sup>2</sup> भूमि का क्रय करने और/या नए मकान का विमण करने या विवाहान मकान में आवास का विस्तार करने/बने बनाए मकान का क्रय करने के लिए.....रु० के अधिक के लिए सरकार को आवेदन किया है।

सरकार ने मकानों के निर्माण आदि के लिए केंद्रीय सरकार के सेवकों की अधिम मंजर किए जाने का विनियमन करने के लिए भारत सरकार द्वारा दत्ताए गए उननियमों के, जो भारत सरकार के निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय द्वारा अपने तारीख 12 अप्रैल, 1956 के कानूनाम स० एच-II -27(5)/54 के साथ जारी किए गए हैं (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है), अधीन 1956 (केवल.....रुए) का संदाय मजूर कर दिया है।

उद्धार लेने वाले ने उक्त रकम का.....मासिक किस्तों में प्रतिसंदाय करने का वचनबंध किया है और उद्धार लेने वाले ने यह भी वचनबंध किया है कि वह उक्त रकम की सहायता से निर्मित/क्रय किए गए मकान को बंधक कर देगा और उक्त नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा। उद्धार लेने वाले को पूर्वोक्त अधिक देने के लिए सरकार द्वारा करार के प्रतिफलस्वरूप, प्रतिभू ने उपर्युक्त बंधपत्र नीचे लिखी शर्तों पर नियादित करने की कार्रवाई की।

उक्त वाध्यता की शर्त यह है कि यदि उक्त उद्धार लेने वाला उक्त.....या किसी अन्य मंत्रालय/कार्यालय में नियोजित रहने के दौरान, सरकार को देय पूर्वोक्त अधिक की रकम का सरकार को तब तक सम्पूर्ण और नियमित रूप से किस्तों में संदाय करता है या करवाता है जब तक कि.....रु० (केवल.....रु०) की उक्त राशि को सम्पूर्ण रूप से भुगतान नहीं हो जाता है या वह उक्त निर्मित/क्रय किए गए मकान का सरकार को बंधक कर देता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, तो वह बंधकपत्र शून्य हो जाएगा अन्यथा वह पूर्णतः प्रवर्त और बलशील रहेगा। किंतु यदि उद्धार लेने वाला मर जाता है या दिवालिया हो जाता है या किसी समय सरकार को सेवा में नहीं रहता है तो.....रु० (केवल.....रुए) का उक्त पुरा मूल धन या उसका उतना अमां जितना शेष रह जाता है तथा उक्त मूल धन पर देव व्यापा, जो उस समय असंदर्त रहता है, सरकार को तुरंत शोष्य और संदेय हो जाएगा और इस बंधपत्र के आधार पर, प्रतिभू से एक किस्त में वसाल किया जा सकेगा।

प्रतिभू ने जो वाध्यता स्वीकार की है, वह सरकार द्वारा समय बढ़ाए जाने या उक्त उद्धार लेने वाले के प्रति कोई अन्य उदारता बरते जाने के कारण न तो उन्मोर्चित होगी और न किसी प्रकार प्रभावी होगी।

इस विलेख की वावत जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा वह सरकार देगा।

उक्त.....ने

आज तारीख.....को

(1) ..... (प्रयम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)  
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

(प्रतिभू के हस्ताक्षर)

पदनाम.....

कार्यालय.....

1. यदि आवश्यकता न हो तो काट दीजिए।
2. जो लागू न हो उसे काट दीजिए।
3. यदि करार अद्यम, गुडरात, नम्ब प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, परिवासी बंगाल और बिहार से मिल राज्यों में नियादित किया जाता है तो इस छठ को काट दीजिए (संघ राज्यों में नियादित करारों के बारे में यह छठ रखा जाएगा)।

विधिक दस्तावेजों के मानक प्रैरूप, जिल्द IV

17

- (2) ..... (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)  
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया।

- ..... मंत्रालय के श्री ..... ने  
(1) ..... (प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)  
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)

- (2) ..... (द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)  
..... (साक्षी के हस्ताक्षर)"

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और  
उनकी ओर से

विधिक दस्तावेजों के नामक प्रूप, जिल्द IV

18

गृह निर्माण अधिनियम के लिए प्रतिहस्तांतरण पत्र का प्रूप

19.....

shall unless  
assigns) of  
agor which  
, executors

of.....  
e'other par  
.....pages

PRINC  
.....  
an advanc

TURE ha  
or agreed

TURE WI

McIntegg  
situated  
cribed in t  
AL INDEX  
of the Mor  
have and  
to the u  
id PRINC  
spect of t  
of anythid  
he mortage  
mises or an  
howsoever  
is hand t

यह प्रतिहस्तांतरण विलेख एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "बंधकदार" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके पदोन्नतर्वर्ती और समनुदेशी भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है (और दूसरे पक्षकार के रूप में.....के (जिसे इसमें आगे "बंधककर्ता" कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशी भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख..... को किया गया है।

एक पक्षकार के रूप में बंधककर्ता और दूसरे पक्षकार के रूप में बंधकदार के बीच तारीख..... को किए गए बंधक करार द्वारा जो.....में पुस्तक सं.....जिल्द सं.....पृष्ठ सं.....से.....तक में सं.....के रूप में.....के लिए रजिस्ट्रीकृत है (जिसे इसमें आगे मूलकरार कहा गया है) बंधककर्ता ने.....में स्थित संपत्ति को, जिसका अधिक और विशिष्ट रूप में वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में दिया गया है, बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को किए गए.....रु..... के अंतिम को प्रतिभूत करने के लिए बंधक करार द्वारा बंधक कर दिया है।

मूल करार की प्रतिभूत ५८ ग्रोव्ह और देय सब धन का पुरा संदाय कर दिया गया है और तदनुसार, बंधककर्ता के अनुरोध पर बंधकदार इसमें इसके आगे अन्तर्विष्ट रूप में बंधक परिसर का प्रतिहस्तांतरण विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है। यह विलेख इस वात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और उपर्युक्त के प्रतिफलस्वल्प बंधकदार.....में स्थित उक्त मध्यम भू-खंड का, जो मूल करार में समाविष्ट है और जिसका विशिष्ट रूप में वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है, उसके उक्त बंधककर्ता, सुखावारों और अनुलग्नकों सहित, जो मूल करार में उल्लिखित हैं तथा मूल करार के आधार पर उक्त परिसर में, जिसमें से या उस प्रतर्वकदार की सभी संपदा, बंधकार, हक, हित, संपत्ति, दावे और माल का इसके द्वारा बंधककर्ता को अनुदान, समनुदेशन और प्रतिहस्तांतरण करता है। इसके द्वारा बंधककर्ता को और उसके उपयोग के लिए जिस परिसर का अनुदान, समनुदेशन और प्रतिहस्तांतरण किया जाना चाहिये है, उसे बंधककर्ता उक्त मूल करार द्वारा प्रतिभूत किए जाने के लिए आशयित सभी धन और उक्त धन या उसके किसी भाग के लिए या इसके संबंध में अथवा मूल करार के या परिसर की वादत किसी वीज के संबंध में सभी अनुबोधनों, वादों, लेखाओं, दावों और मालों से निर्मित रूप में प्राप्त और धारण करेगा। बंधकदार इसके द्वारा बंधककर्ता से प्रसविदा करता है कि उसने (बंधकदार ने) न तो ऐसी कोई वात की है, न जानवृत्तकर महन की है, और न उसमें पक्षकार या संसर्की रहा है जिससे उक्त परिसर या उसका कोई भाग हक, संपदा की वावत या अन्यथा अविकल्प, विलर्गमित या प्रभावित होता है या किया जा सकता है। इसके साक्षात्कार उक्त धन अपनी और से.....द्वारा इस पर ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को हस्ताक्षर करवा दिए हैं।

ture)

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है

half of th  
of India

बंधकदार के लिए और उसकी ओर से.....ने

(1) .....(प्रथम साक्षी का नाम; पता और व्यवसाय)  
.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

(2) .....(द्वितीय साक्षी का नाम; पता और व्यवसाय) भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ।  
.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

respective Si

द्वितीय साक्षी को लगात दी जाती है कि इस दस्तावेज पर स्टाम्प गुम्फ देने के पूर्व वह सुनिश्चित करने के लिए कि वहा स्टाम्प गुम्फ के संदाय से कोई छूट मिल नक्ती है, संविधित चाप या रक्कारो/प्रशासनी ने समर्पक कर दें।

विधिक दस्तावेजों के मानक प्ररूप, जिल्हा IV

19

भारतीय जीवन बीमा निगम को, नियमों के अधीन अनुज्ञेय गहरे निर्माण अधिग्रहण की सहायता से निर्मित/क्रय किए गए  
मकानों का बीमा पालिसीयों में सरकारी के हित की सूचना देने वाले पत्र का प्ररूप

OF INDIA  
STRUCTED/  
LES.

प्रधक—

संवा में,

(महालेखाकार/नियंत्रक/विभागाध्यक्ष के माध्यम से)

महोदय,

आपको सूचना दी जाती है कि भारत के राष्ट्रपति आपके निगम से प्राप्त मकान बीमा पालिसी सं०..... में हितबद्ध है।  
आपसे अनुरोध है कि आप उस पालिसी में निम्नलिखित आशय का खंड जोड़ने की कृपा करें।

fect in the

bearing  
is Policy)  
ty for an  
interested  
e insured  
e good by  
be is the  
ct of such

he rights  
cy or any

ithfully,

he under-  
um is not

.accounts  
rtment)

बीमा पालिसी में जोड़ जाने वाले खंड का प्ररूप

1. यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री..... ने (जो उस मकान का स्वामी है जिसका नियंत्रण अधीन सं०..... है और जिसे इसमें आगे इस पालिसी की अनुसन्धान में बीमाकृत कहा गया है) मकान भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें आगे राष्ट्रपति कहा गया है) उस अधिन के लिए प्रतिभूति के रूप में आडमान कर दिया है, जो उस मकान के नियमण के लिए लिया गया है। यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि राष्ट्रपति ऐसे घन में भी हितबद्ध हैं जो, यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री..... (इस पालिसी के अधीन बीमाकृत) को उक्त मकान की हानि या उसको हुए नुकसान की बाबत (जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति भरभरत, यथापूर्वकरण का प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है) संबंध होगा। ऐसा घन राष्ट्रपति को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वह इस मकान के बंधकदार हैं। राष्ट्रपति की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत निगम ने पूरा अंतिम भुगतान कर दिया है।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया है उसके सिवाय इसकी किसी भी बात से बीमाकृत के था निगम के, इस पालिसी के अधीन या संबंध में अविकाराया दायित्व का अध्यवा इस पालिसी के किसी निवधन, उपबंध या भर्त का न तो उपांतरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा।

मवदीय;

स्थान.....

तारीख.....

अग्रेषित । कृपया इस पत्र के प्राप्त होने की अनिस्वीकृति दें। यह भी अनुरोध है कि जहाँ कहीं भी इस पालिसी के अधीन किसी दावे का संदाय किया जाए तब और यदि नवीकरण के लिए कालिक रूपसे प्रीमियम का संदाय नहीं किया जाता है तो उसकी भी सूचना मुझे देने की कृपा करे।

(मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और उसका धनाम)

स्थान.....

तारीख.....

ADVANCE  
FINANCING  
TAX.

us and Nine  
esiding at  
owner' which  
heirs, execu-  
a statutory  
part and the

its Self Fi-  
sages allot-  
instalments

ernment to  
hereinafter  
for an ad-  
sanctioned  
se presents

the borrower  
share of a  
be paid by  
between the

overnment  
ned to the  
ows :—  
on deposit)

. 25% and  
land letter  
id 10% of

ower will  
nanner as  
in either  
/a penalty

ayment of  
category

alongwith  
. days to  
certificates

केंद्रीय सरकार के सेवकों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण की "स्व-वित्तपोषित आवास रजिस्ट्रीकरण स्कीम" के प्रधीन फ्लैट खरीदने के लिए अग्रिम लेने के समय निष्पादित किए जाने वाले विषयकरण करार का प्रलय

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री.....जो.....का पुत्र है, .....में निवास करता है और इस समय.....के रूप में बेवा कर रहा है, (जिसे इसमें आगे "उद्धार लेने वाला" कहा गया गया है और यह समझा जाएगा कि इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं, जब तक कि संदर्भ से ऐसा जपवित्र या उसके बिरुद्ध नहीं है), द्वारे पक्षकार के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण, जो एक कानूनी निकाय है और जिसका कायालय .....में है, जिसे इसमें आगे "प्राधिकरण" कहा गया है और तो सरकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है, के बीच आज तारीख.....को किया गया।

उद्धार लेने वाला, प्राधिकरण से उसकी स्व-वित्तपोषित आवास रजिस्ट्रीकरण स्कीम (जिसे इसमें आगे "उद्धार स्कीम" कहा गया है) के अधीन एक बना बनाया फ्लैट खरीदना चाहता है। इस स्कीम में इस वात की पारकलना की गई है कि बने बनाए फ्लैटों का आवंतन दो वर्ष के पश्चात् और सन्निर्माण की लागत का, उद्धार स्कीम की विवरणिका में वर्णित किस्तों में संदाय कर दिए जाने पर किया जाएगा।

उद्धार लेने वाले ने उद्धार स्कीम के अधीन एक फ्लैट खरीदने के लिए .....रु के अग्रिम के लिए सरकार के उन नियमों के उपर्योग के बधीन आवेदन किया है जो केंद्रीय सरकार के सेवकों के लिए अग्रिम का अनुदान विनियमित करने के लिए सरकार ने बनाए हैं (जिन्हें इसमें आगे "उद्धार नियम" कहा गया है, जिसके अन्तर्गत उनके उपाध्यार भी हैं) और सरकार ने .....मंबालय/विभाग के तारीख.....के पत्र सं.....के द्वारा (जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है) उद्धार लेने वाले को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए .....रु का अग्रिम मंजूर कर दिया है। यह अग्रिम उद्धार पत्र में दी गई शर्तों पर मंजूर किया गया है।

उद्धार लेने वाला बना बनाया फ्लैट खरीदने के लिए उद्धार स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकरण नियोग की आरंभिक रकम के रूप में प्राधिकरण के पास 10,000 रु (केवल दस हजार रुपए) की जो राशि जमा कर चुका है, उसके और उद्धार लेने वाले की ओर से .....रु (यहां मंजूर किए गए अग्रिम की रकम लिखिए) की जो राशि सरकार सीधे प्राधिकरण को देगी उनके प्रतिफल स्वरूप इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :

(1) प्राधिकरण से यह आश्वासन मिलने पर कि फ्लैट उस सरकारी सेवकों को, जिसे इसमें उद्धार लेने वाला कहा गया है, आवंटित किया जाएगा, यह निर्माण के लिए अनुबंध अग्रिम की रकम उद्धार लेने वाले को मंजूर की जाएगी किन्तु वास्तविक संदाय सरकार द्वारा निम्नलिखित रूप में सीधे प्राधिकरण को किया जाएगा :—

(क) लाटरी निकाल कर आवंतन के पश्चात् मांग पत्र की तारीख के एक मास के भीतर निवास गृह की अनन्तिम लागत का 25 प्रतिशत (जिसमें रजिस्ट्रीकरण नियोग के रूप में संदर्भ रकम भी सम्मिलित है);

(ब) लाटरी निकाल कर आवंतन के पश्चात् मांग पत्र की जारी किए जाने की तारीख से तीन मास के पश्चात् किसी भी समय, मांग की जाने पर निवास गृह की अनन्तिम लागत का 65 प्रतिशत त्रिमासः 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की तीन किस्तों में; और

(ग) फ्लैट की अन्तिम कीमत फ्लैट का कब्जा लेने से पूर्व अवधारित की जाएगी और शेष रकम के 10 प्रतिशत का संदाय कब्जा लेते समय किया जाएगा।

उद्धार लेने वाला उस रकम का, जो गृह निर्माण अग्रिम की अनुबंध रकम के आधिकरण में है और जो उद्धार लेने वाले को मंजूर की गई है, संदाय सीधे प्राधिकरण को करेगा जिससे कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को, इसके पूर्व वर्णितरीति में संदाय किया जा सके।

यदि सरकार या उद्धार लेने वाले द्वारा किस्त के संदाय में कोई विलम्ब होता है तो दोनों ही दशा में, यह विलम्ब उद्धार लेने वाले की ओर से अविकल्प समझा जाएगा और उद्धार लेने वाला विलम्ब से किए गए संदाय पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से शास्ति के संदायों के लिए दायी होगा।

(2) प्राधिकरण उद्धार लेने वाले का एक पृथक लेखा रखेगा और अग्रिम के संदाय की जो राशि उसे सरकार से प्राप्त होगी उसका समायोजन वह उस विशिष्ट प्रवर्ग की फ्लैट के निर्माण की लागत में करेगा जिसके लिए उद्धार लेने वाले ने आवेदन किया है।

(3) फ्लैट का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर उसका कब्जा उद्धार लेने वाले को उनके अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में.....दिन के भीतर के राष्ट्रपति के पास वंदक रखेगा। वह रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

विधिक दस्तावेजों के मानक प्ररूप, जिल्हा IV

21

ioned, will

... (insert  
below) by

Borrower  
nd subsis-

represent-  
ctual cost  
(Advance  
houseand)  
= payable

100 is 8%  
ay to the  
ny gain

ment.

.....  
in the  
unto set

.....  
rrower)

nce of :

and on

(4) यदि पर्सनल की लागत मंजूर किए गए गृह निर्माण अधिनम से अधिक है तो आधिकाय का संदाय उधार लेने वाला करेगा।

(5) उधार लेने वाला ..... रु० (यहाँ मंजूर की गई पूरी रकम और आगे वर्णित पैरा 7 के अनुसार प्राक्कलित व्याज की रकम लिखिए) की उचत रकम का प्रतिसंदाय अपने बेतन से ..... रु० की ..... (किस्तों की संख्या लिखिए) मासिक किस्तों में करेगा। ये किस्तें 19.... के ..... मास से या फैलेट का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उन्हीं मास से जो भी पूर्वतर है, प्रारम्भ होंगी और उधार लेने वाला सरकार को अपने मासिक बेतन, छुट्टी बेतन और निर्वाह भरने के बिलों से ऐसी कटौती करने के लिए प्राधिकृत करता है।

(6) यदि उधार लेने वाला इस स्कीम से अपना नाम वापस लेना चाहता है या उस जेप रकम का, जो सरकार द्वारा मंजूर किए गए गृह निर्माण अधिनम और गृह/फैलेट की वास्तविक लागत के अन्तर के बीच बर है, संदाय करने में असफल रहता है, या सरकार की देवा छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो गृह निर्माण अधिनम की रकम सरकार को तुरन्त वापस कर दी जाएगी। प्राधिकरण केवल प्रारम्भिक नियमों की 10,000 रु० (दस हजार रुपए) की रकम उधार लेने वालों को, उसमें से उधार लेने वाले द्वारा संदेश इसी रकम की, जो विवरणिका में उपलब्धित है, कटौती करके, वापस कर देगा।

(7) गृह निर्माण अधिनम पर व्याज की दर इस प्रकार होगी, अर्थात्—प्रथम 25,000 रु० पर 6½ प्रतिशत, अगले 25,001 से 50,000 रु० पर 8 प्रतिशत तथा 50,001 से 70,000 रु० पर 10 प्रतिशत। दिल्ली विकास प्राधिकरण इस स्कीम के अधीन सरकार की 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 2½ वर्ष के बाद तक की उस अवधि के लिए जब तक कि फैलेट का कब्जा देने की प्रस्थापना नहीं की जाती है, व्याज का संदाय करेगा। इस प्रकार व्याज में यदि कोई अभिनाश होगा तो वह सरकार को प्रोद्भूत होगा।

2. इस विलेख पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क संदेश होगा तो वह सरकार द्वारा दिया जाएगा।

इसके साक्षयस्वरूप उधार लेने वाले ने और दिल्ली विकास प्राधिकरण के श्री ..... ने तथा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ..... मंत्रालय/कार्यालय के श्री ..... ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

पहला साक्षी :

पता :

उपर्युक्तिवाका :

द्वितीय साक्षी :

पता :

उपर्युक्तिवाका :

दिल्ली विकास प्राधिकरण के श्री ..... ने

1. ....

2. ....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

..... मंत्रालय/कार्यालय के श्री ..... ने भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए।

सम्पत्ति की अनुसूची

फैलेट सं० ..... आदि

विधिक दस्तावेजों के मानक प्रृष्ठ IV का शुद्धिपत्र  
Corrigenda of the Standard Forms of Legal Documents Vol. IV

पृष्ठ Page	प्रविष्टि Entry	परिवर्तित Line	के स्थान पर For	पढ़े Read
1	2	3	4	5
3	(v) (ब)	6	वह उक्त माणिपत्रों के	वह उक्त प्रमाणपत्रों के
4	(g)	2	due hereon drawn	due thereon drawn
6	(ii)	8	... per cent per	... percent, per
6	Foot-note	1	1. Note.— This applies to	1. This applies to
		6		(ii) के पहले पाद-टिप्पण में जो
				"टिप्पण" है उसे पढ़ें
8	(ब)	2	न उक्तका अन्य	न उक्तका किसी अन्य
10	(1)	2	रु० की राशि और (यहां पहली किस्त की रकम लिखिए)	रु० (यहां पहली किस्त की रकम लिखिए) की राशि और
10	(1) (क)	3	रु० की राशि के प्रतिफलस्वरूप (यहां दो जाने वाली शेष रकम लिखिए)	रु० (यहां दो जाने वाली शेष रकम लिखिए) की राशि के प्रतिफलस्वरूप
10	(1) (क)	1 से 3	रु० की उक्त रकम का ..... (यहां उधार की पूरी रकम लिखिए) की उक्त रकम का ..... रु० की ..... मासिक किस्तों में सरकार को प्रतिसंदायां (किस्तों की संख्या लिखिए) किस्तों में सरकार को प्रतिसंदायां अपने बेतन	रु० (यहां उधार की पूरी रकम लिखिए) की उक्त रकम का ..... रु० की ..... मासिक (किस्तों की संख्या लिखिए) किस्तों में सरकार को प्रतिसंदायां अपने बेतन ..... रुपए के अंतिम के लिए
12	शोषक के पश्चात् तीसरा पंचा	3 और 4	..... रुपए अग्रिम के लिए	
14	(2)	1	करता है :—	करता है कि वह :—
15	शोषक		अनुसूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है	अनुसूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है <sup>2</sup>

**दिक्षेता—** (1) प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि सभाय प्रकाशन, भारत सरकार, मार्गीव विधि  
संस्थान मन्दिर, भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110 001.

(2) प्रकाशन-नियन्त्रक, भारत सरकार, सिंधित लाइस्न, दिल्ली-110 054.